

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2020

जयपुर, दिनांक:- 19/11/2020

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-राजकीय आवास संख्या 1/54 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 1/54 गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित कार्य हेतु 2.87 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख सतायसी हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवासी का नाम एवं आवास संख्या	आवासी का ब्लॉक वर्ष	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	श्री आनन्द कुमार, IAS I/54, गांधीनगर जयपुर	2019-20 2020-21 2021-22	1. repair of toilet including replacement of damaged sanitaryware like WC, cistern, washbasin and CI, GI/PVC pipe fitting and wall tile, floor tile, CP fitting etc. Cont.2.5%& Prorata 13%	2.48 0.39	2.87


यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21. में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19 (1) सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय


(डॉ.मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(जनशक्ति) विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. श्री आनन्द कुमार, IAS I/54 गांधीनगर, जयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-III, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली


विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2020

जयपुर, दिनांक:- 19/11/2020

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:—राजकीय आवास संख्या 1/63 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 1/63 गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित कार्य हेतु 1.96 लाख (अक्षरे रूपये एक लाख छियानवें हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र.सं.	आवासी का नाम एवं आवास संख्या	आवासी का ब्लॉक वर्ष	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)	
1	श्री भास्कर ए. सावंत, IAS आवास संख्या 1/63 गांधीनगर	2020-21 2021-22 2022-23	- - -	1. Almirah with cupboard 2. Room APP with broken tile 3. Misc. work(plaster, masonry etc) Cont.2.5%& Prorata 13%	1.16 0.24 0.30 0.26	1.96


यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21. में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19 (1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे ।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे ।

भवदीय


(डॉ.मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(जनशक्ति) विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. भास्कर ए. सावंत, IAS 1/63गांधीनगर, जयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली


विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2020

जयपुर, दिनांक:- 19/11/2020

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-राजकीय आवास संख्या 1/7 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 1/7 गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित कार्य हेतु 3.52 लाख (अक्षरे रूपये तीन लाख बावन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र.स.	आवासी का नाम एवं आवास संख्या	आवासी का ब्लॉक वर्ष	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1	श्री कृष्ण कुनाल IAS I-7, गांधीनगर	2018-19 2019-20 2020-21	1. raising wall 2. raising floor 5. toilet renovation 6. windows 7. washbasin cabinet 2 Cont.2.5%& Prorata 13%	0.07 0.90 1.50 0.04 0.54 0.47	3.52


यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21. में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19 (1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे ।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे ।

भवदीय


(डॉ.मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(जनशक्ति) विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. श्री कृष्ण कुनाल, IAS 1/7 गांधीनगर, जयपुर ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली


विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2020

जयपुर, दिनांक:- 19/11/2020

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-राजकीय आवास संख्या 1/20 गांधीनगर, जयपुर में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय आवास संख्या 1/20 गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित कार्य हेतु 3.20 लाख (अक्षरे रूपये तीन लाख बीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	आवासी का नाम एवं आवास संख्या	आवासी का ब्लॉक वर्ष	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)	
1	डॉ.कृष्णकांत पाठक, IAS 1/20 गांधीनगर	2018-19 2019-20 2020-21	- 1.14 -	1. Wooden Cabinet 2. Dressing Wardrob 3. Study Table 8. Bathroom Renovation Cont.2.5%& Prorata 13%	0.53 1.89 0.10 0.25 0.43	3.20


यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (10) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21. में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावें कि सम्बन्धित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19 (1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।


समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय


(डॉ.मोहन लाल यादव)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना(जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. डॉ.कृष्णकांत पाठक, IAS 1/20 गांधीनगर, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-III, जयपुर ।
10. रक्षित पत्रावली


विशिष्ट शासन सचिव